

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-12/2011

/कृ०, पटना, दिनांक

मई, 2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री विजय सिंह,  
मेसर्स हरनवाँ इन्डस्ट्रीज लि०,  
C/O— कृष्णा सीड्स, H/O अशोक कुमार मेहता,  
पुष्प बिहार अपार्टमेंट के नजदीक एकजीविशन रोड, पटना।

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 36-37 दिनांक 22.02.2012 एवं वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित अनुज्ञप्ति संख्या-36-37 दिनांक 22.02.2012 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	2, 4-D Amine Salt 58% SL	34	Lambdacyhalothrin 2.5% EC
2	2, 4-D Ethyl Ester 38% EC	35	Mancozeb 75% WP
3	2, 4-D Sodium Salt 80% WP	36	Metalaxyl 35% WS
4	Acephate 25% + Fenavareate 3% EC	37	Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP
5	Acephate 75% SP	38	Metribuzin 70% WP
6	Acetamiprid 20% SP	39	Monocrotophos 36% SL
7	Alphacypermethrin 10% SC	40	Paraquat Dichloride 24% SL
8	Alphacypermethrin 5% WP	41	Phorate 10% CG
9	Ammonium Salt Glyphosate 71% SG	42	Piroxofop-proparyl (Clodinafop-Propargyl) 15% WP
10	Buprofezin 25% SC	43	Pretilachlor 50% EC
11	Butachlor 50% EC	44	Profenophos 50% EC
12	Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP	45	Quinalphos 25% EC
13	Carbendazim 50% WP	46	Spinosad 45% SC
14	Cartap Hydrochloride 4% GR	47	Sulfosulfuron 75% WG
15	Chlorpyrifos 20% EC	48	Sulphur 80% WDG
16	Copper Oxychloride 50% WP	49	Tebuconazole 25.9% EC
17	Cypermethrin 10% EC	50	Temephos 1% SG
18	Cypermethrin 25% EC	51	Thiamethoxam 25% WG
19	Deltamethrin 2.8% EC	52	Triazophos 40% EC
20	Deltamethrin 1% + Tridazophos 35% EC	53	Tricyclazole 18% + Mancozeb 62% WP
21	Deltamethrin 1.25% ULV	54	Tricyclazole 75% WP
22	Deltamethrin 2.5% FLOW	55	Validamycin 3% L
23	Deltamethrin 2.5% WP	56	Atrazine 50% WP
24	Dichlorvos 76% EC	57	Permethrin 25% EC
25	Diflubenzuron 25% WP	58	Cartap Hydrochloride 50% SP
26	Ethion 40% + Cypermethrin 5% EC	59	Glyphosate 41% SL
27	Hexaconazole 5% EC	60	Metsulfuron Methyl 20% WP
28	Hexaconazole 5% SC	61	Pendimethalin 30% EC
29	Imidacloprid 17.8% SL	62	Profenophos 40% + Cypermethrin 4% EC
30	Imidacloprid 2.15% GEL	63	Propiconazole 25% EC
31	Imidacloprid 30.5% SC	64	Chlorpyrifos 16% + Alphacypermethrin 1% EC
32	Indoxacarb 14.5% SC	65	Acephate 50% + Imidacloprid 1.8% SP
33	Lambdacyhalothrin 10% WP		

2-उपरोक्त कीटनाशी का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स हरनवाँ इन्डस्ट्रीज लि०, द्वारा- कृष्णा सीड्स, H/O-श्रीमती सकुन्ति देवी, अगमकुआँ, छोटी पहाड़ी, पटना-800007

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-36-37 दिनांक 22.02.2012 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

2767

/कृ0, पटना, दिनांक ...12 मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेकसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।